an>

Title: Need to ensure allocation of funds by corporate sector towards Corporate Social Responsibility component as per laid down norms and standards.

श्री भरत सिंह (बलिया) ः मैं सरकार का ध्यान कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) द्वारा गत वर्ष किए गए कम खर्च की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। इन कंपनियों ने अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) से मुंह मोड़ते हुए वित्त वर्ष 2014-15 में अपने शुद्ध लाभ का महज 1.35 प्रतिशत इस मद में खर्च किया, जबकि नए कंपनी कानून में कम से कम 2 प्रतिशत लाभ को सी.एस.आर. पर खर्च करना अनिवार्य है।

छोटी कंपनियों के मुकाबले नियमों के उल्लंघन में बड़ी कंपनियां आगे रहीं। घरेलू शेयर बाज़ारों मे सूचीबद्ध 3855 कंपनियों में लगभग 1300 कंपनी कानून 2013 के तहत 2 प्रतिशत सी.एस.आर. वाले नियम के दायरे में आती हैं। इन कंपनियों के शुद्ध लाभ के आधार पर इन्हें कम से कम 12000 करोड़ रूपए सी.एस.आर. पर खर्च करने थे, लेकिन इन्होंने मात्र 6800 करोड़ रूपए ही खर्च किए। इस प्रकार उनका औसत सी.एस.आर. खर्च 1.35 प्रतिशत ही रहा।

कंपनी कानून में 500 करोड़ रूपए या इससे ज्यादा नेटवर्थ या 1000 करोड़ रूपए का कारोबार करने वाली अथवा कम से कम 5 करोड़ रूपए का शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को सी.एस.आर. पर 2 प्रतिशत खर्च करना होता है। साथ ही, 82 प्रतिशत सी.एस.आर. खर्च केवल शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं सेनिटेशन, ग्रामीण विकास परियेजना तथा पर्यावरण पर किए गए जबकि इन चार के अलावा भी कई क्षेत्रों के लिए कानून अनुमति देता है।